

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
विजनौर।

सेवा में

प्रबंधक

के०डी०बी०एल०इण्टरनेशनल प्रा०स्कूल,फै०हॉउल्लाहनगर,अफजलगढ़  
जनपद-विजनौर।

पत्रांकवेसिक/मान्यता/१७८८८१/२०१३-१४ दिनांक ३/५/१५

विषय:- नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के  
लिए नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के  
उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

न्होदय/महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती  
पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं के०डी०बी०एल०इण्टरनेशनल प्रा०स्कूल,फै०हॉउल्लाहनगर,अफजलगढ़,  
ब्लाक- अफजलगढ़(विजनौर) को दिनांक १-७-२०१३ से दि० ३०-६-२०१६ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए  
हिन्दी माध्यम से कक्षा-१ से कक्षा-५ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित रार्टों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन  
करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध 1) और नि॒शुल्क  
और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-१ में (या यथार्थतः नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक  
आस-पड़ोस के कमज़ोर बंगो और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें  
नि॒शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपबंध कराएगा।
4. पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (2) के उपबंधों के  
अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता  
रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके  
माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉर्सिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और  
वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
  - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, निर्गत  
कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
  - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तरीण करने की अपेक्षा  
नहीं की जाएगी;
  - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए  
अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
  - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को  
प्रवेश दिया जायेगा;
  - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं  
के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के  
प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पौँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित  
करेंगे;
  - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है,  
और

अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है,

लय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Amit Kumar

Principal  
K.D.B.L International School  
Afzalgarh (Bijnor)  
Afsalgarh (Bijnor)

Manager

K.D.B.L International School  
Afzalgarh (Bijnor)

35

Manager  
K.D.B.L International School  
Afzalgarh (Bijnor)